



गणपति फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड

अपने ग्राहक और एटी-मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी को जानें

संस्करण नियंत्रण संस्करण	दत्तक ग्रहण/ बोर्ड द्वारा संशोधन तिथि	तैयार / बदला गया	अंतिम समीक्षा तिथि
1 1	अप्रैल 2025	कानूनी और अनुपालन	ना

अपने ग्राहक को जानें और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी

(“केवाईसी और एएमएल नीति”)

● पृष्ठभूमि

गणपति फिनलजी प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे “कंपनी” कहा जाएगा) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत शामिल एक निजी लिमिटेड कंपनी है और यह भारतीय रिजर्व बैंक (“आरबीआई”) के साथ पंजीकृत एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (“एनबीएफसी”) है।

प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 और प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग (मैटेनेंस ऑफ़ रिकॉर्ड्स) रूल्स, 2005 के नियमों के अनुसार, जिन्हें समय-समय पर बदला गया है, RBI ने सभी NBFCs पर लागू होने वाले 'नो योर कस्टमर' (“KYC”) के लिए बड़े निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें समय-समय पर बदला गया है। इसे देखते हुए, कंपनी के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने RBI के निर्देशों के अनुसार एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (“AML”), आतंकवाद की फाइनेंसिंग को रोकने (“CFT”) और KYC उपायों पर इस पॉलिसी फ्रेमवर्क को ठीक से मंजूरी दी है और अपनाया है।

कंपनी ने यह KYC और AML पॉलिसी RBI के मास्टर डायरेक्शन- नो योर कस्टमर (KYC) के आधार पर बनाई है।

निर्देश, 2016, दिनांक 25 फरवरी 2016, समय-समय पर अद्यतन (“एमडी”), धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और धन शोधन निवारण (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम, 2005 के प्रावधान हैं और इसे संबंधित परिचालन दिशानिर्देशों के साथ पढ़ा जाना है और यह आरबीआई और/या अन्य नियामकों द्वारा समय-समय पर सूचित किए जाने वाले परिवर्तनों/संशोधनों के साथ स्वतः सही माना जाएगा।

1. उद्देश्य

- 1.1. मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए; “एक्ट” और “रूल्स” का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ़ मनी-लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 और प्रिवेंशन ऑफ़ मनी-लॉन्ड्रिंग (मैटेनेंस ऑफ़ रिकॉर्ड्स) रूल्स, 2005, और उनमें किए गए बदलाव।
- 1.2. कंपनी को अपने कस्टमर्स और उनके फाइनेंशियल लेन-देन को बेहतर तरीके से जानने और समझने में मदद करना, जिससे कंपनी को अपने रिस्क को समझदारी से मैनेज करने में मदद मिले।
- संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और उनकी रिपोर्टिंग के लिए सही कंट्रोल लागू करना।
लागू कानून/निर्धारित प्रक्रियाएं।
- लागू कानूनों और रेगुलेटरी गाइडलाइंस का पालन करना।
- यह पक्का करना कि संबंधित स्टाफ को KYC/AML/CFT प्रोसेस में ठीक से ट्रेनिंग दी गई है। 7.

2. परिभाषाएँ

1. इस केवाईसी और एएमएल नीति में उपयोग की गई शर्तें, जब तक कि उनके अर्थ के विपरीत न हों, उनका अर्थ वही होगा जो उन्हें एमडी, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और धन शोधन निवारण (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम, 2005, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016, आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 और इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों में समय-समय पर संशोधित किया गया है।
- 1.2.1 “अधिनियम” और “नियम” का तात्पर्य क्रमशः धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 तथा उसके संशोधनों से है।
- 1.2.2. “पीरियोडिक अपडेटिंग” का मतलब है कि CDD प्रोसेस के तहत इकट्ठा किए गए डॉक्यूमेंट्स, डेटा या जानकारी को रिज़र्व बैंक द्वारा तय समय पर मौजूदा रिकॉर्ड्स का रिव्यू करके अप-टू-डेट और रिलेवेंट रखने के लिए उठाए गए कदम।
- 1.2.3. “ग्राहक” - का अर्थ है वह व्यक्ति जो कंपनी के साथ किसी वित्तीय लेनदेन या गतिविधि में संलग्न है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसकी ओर से लेनदेन या गतिविधि में संलग्न व्यक्ति कार्य कर रहा है।
- 1.2.4. “कस्टमर ड्यू डिलिजेंस (सीडीडी)” का मतलब है कस्टमर और बेनिफिशियल ओनर की पहचान करना और वेरिफिकेशन करना पहचान के भरोसेमंद और इंडिपेंडेंट सोर्स का इस्तेमाल करना।

2.

स्पष्टीकरण – खाता आधारित संबंध आरंभ करते समय या पचास हजार रुपये या उससे अधिक राशि का कभी-कभार लेन-देन करते समय, चाहे वह एकल लेन-देन के रूप में किया गया हो या कई लेन-देन जो जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, या कोई अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण कार्य करते समय, सीडीडी में निम्नलिखित शामिल होंगे:

क. (क) ग्राहक की पहचान, विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करके उनकी पहचान का सत्यापन पहचान, जहां लागू हो, बिज़नेस संबंध के उद्देश्य और इच्छित प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

ख. सी. (ख) ग्राहक के व्यवसाय की प्रकृति और उसके स्वामित्व और नियंत्रण को समझने के लिए उचित कदम उठाना;

“डेसिग्नेटेड डायरेक्टर” का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक्ट के चैप्टर IV और नियमों के तहत लगाई गई जिम्मेदारियों का पूरी तरह से पालन पक्का करने के लिए सही तरीके से आंशराइज़ किया है। 1. 2. (c) यह तय करना कि कोई कस्टमर बेनिफिशियल ओनर की ओर से काम कर रहा है या नहीं और बेनिफिशियल ओनर की पहचान करना।

मालिक की पहचान वेरिफाई करने के लिए सभी कदम उठाना और पहचान के भरोसेमंद और स्वतंत्र स्रोतों का इस्तेमाल करना।

1. 2.5. “नामित निदेशक” का तात्पर्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी से है, जिसे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अधिनियम और नियमों के अध्याय IV के तहत लगाए गए दायित्वों के साथ समग्र अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है।

2.

3. 2.6. “इक्विवेलेंट ई-डॉक्यूमेंट” का मतलब है एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट, जिसे जारी करने वाली अथॉरिटी अपने वैलिड डिजिटल सिग्नेचर के साथ जारी करती है। इसमें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (डिजिटल लॉकर फैसिलिटी देने वाले इंटरमीडियरी द्वारा जानकारी का प्रिजर्वेशन और रिटेंशन) रूल्स, 2016 के रूल 9 के अनुसार कस्टमर के डिजिटल लॉकर अकाउंट में जारी किए गए डॉक्यूमेंट शामिल हैं।

4.

5. 2.7. “ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट” (“OVD”) का मतलब है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर होने का प्रूफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी वोटर आइडेंटिटी कार्ड, NREGA द्वारा जारी जॉब कार्ड जिस पर राज्य सरकार के किसी ऑफिसर का साइन हो और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर द्वारा जारी लेटर जिसमें नाम और पते की डिटेल्स हों। बशर्ते कि,

6.

ए. जहां ग्राहक ओवीडी के रूप में आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है, वह इसे इस प्रकार प्रस्तुत कर सकता है फॉर्म भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाते हैं।

a. B. जहां कस्टमर द्वारा दिए गए OVD में अपडेटेड पता नहीं है, वहां नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स या उनके बराबर के ई-डॉक्यूमेंट्स को पते के प्रूफ के लिमिटेड मकसद के लिए OVD माना जाएगा:-

i. उपयोगिता बिल जो किसी भी सेवा प्रदाता (बिजली, टेलीफोन, पोस्ट-पेड मोबाइल) का दो महीने से अधिक पुराना नहीं है फोन, पाइप गैस, पानी का बिल); ii. प्रॉपर्टी या

म्युनिसिपल टैक्स की रसीद। iii. सरकारी डिपार्टमेंट या रिटायर्ड कर्मचारियों को जारी पेंशन या फ्रैमिली-पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPOs) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, यदि उनमें पता हो;

iv. राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया एम्प्लॉयर से आवास के अलॉटमेंट का लेटर

डिपार्टमेंट, कानूनी या रेगुलेटरी बॉडी, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और लिस्टेड कंपनियों के साथ लीव और लाइसेंस एग्रीमेंट करके ऑफिशियल अकोमोडेशन देना।

ए. सी. ग्राहक को जमा करने के तीन महीने की अवधि के भीतर वर्तमान पते के साथ ओवीडी जमा करना होगा ऊपर 'b' में बताए गए डॉक्यूमेंट्स।

a. D. अगर किसी विदेशी नागरिक के OVD में पते की जानकारी नहीं है, तो ऐसे मामले में विदेशी इलाकों के सरकारी डिपार्टमेंट से जारी डॉक्यूमेंट और भारत में विदेशी एम्बेसी या मिशन से जारी लेटर को पते के सबूत के तौर पर माना जाएगा।

एक्सप्लेनेशन: इस क्लॉज़ के मकसद के लिए, किसी डॉक्यूमेंट को OVD माना जाएगा, भले ही उसे जारी करने के बाद नाम में कोई बदलाव हो, बशर्ते कि वह राज्य सरकार द्वारा जारी मैरिज सर्टिफिकेट या नाम में ऐसे बदलाव को दिखाने वाले गैजेट नोटिफिकेशन से सपोर्टेड हो।

3. केवाईसी प्रक्रिया

3.1. कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी ("CAP") जैसा कि एनेक्सर 1 में बताया गया है। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी सभी क्लाइंट्स के साथ एक जैसा बर्ताव करेगी, आम लोगों के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करेगी और आम लोगों को, खासकर उन्हें जो आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, फाइनेंशियल सुविधा देने से मना नहीं करेगी।

3.2. कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर ("CIP") जैसा कि एनेक्सर 2 में बताया गया है।

3.3. कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर: वेरिफाई किए जाने वाले फ्रीचर और कस्टमर और/या उनके पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) होल्डर, और/या ऑथराइज़्ड सिग्नेटरी से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, जैसा कि Annexure 3 में बताया गया है।

1. रिस्क मैनेजमेंट - कंपनी कैटेगरी बनाने के लिए रिस्क-बेस्ड तरीका अपनाएगी, जिसमें शामिल हैं:
अगले:

- असेसमेंट और रिस्क के आधार पर कस्टमर्स को लो, मीडियम और हाई-रिस्क कैटेगरी में बांटा जाएगा।
कंपनी की धारणा।
- रिस्क का कैटेगरी कस्टमर की पहचान जैसे पैरामीटर के आधार पर किया जाएगा, सामाजिक/वित्तीय स्थिति, व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति और ग्राहकों के व्यवसाय और उनके स्थान के बारे में जानकारी, ग्राहकों के साथ-साथ लेन-देन को कवर करने वाला भौगोलिक जोखिम, उत्पादों/सेवाओं के प्रकार, उत्पादों/सेवाओं की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वितरण चैनल, किए गए लेन-देन के प्रकार - नकद, चेक/मौद्रिक उपकरण, वायर ट्रांसफर, विदेशी मुद्रा लेनदेन, आदि सोर्सिंग का तरीका, अंतर्निहित ऋण की प्रकृति आदि।
ग्राहक की पहचान पर विचार करते समय, जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन या अन्य सेवाओं के माध्यम से पहचान दस्तावेजों की पुष्टि करने की क्षमता को भी कारक बनाया जा सकता है।
- कस्टमर की रिस्क कैटेगरी और ऐसी कैटेगरी के खास कारण कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे और कस्टमर को नहीं बताए जाएंगे ताकि कस्टमर को पता न चले।

लेकिन, कस्टमर प्रोफाइल बनाते समय, कंपनी कस्टमर से सिर्फ वही जानकारी लेने का ध्यान रखेगी जो रिस्क कैटेगरी के लिए ज़रूरी हो और दखल देने वाली न हो। FATF पब्लिक स्टेटमेंट, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और दूसरी एजेंसियों द्वारा जारी 'नो योर कस्टमर' / एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर रिपोर्ट और गाइडेंस नोट्स वगैरह का इस्तेमाल भी कंपनी रिस्क असेसमेंट में कर सकती है।

1. लेन-देन की निगरानी- कंपनी प्रभावी रूप से जोखिम को नियंत्रित और कम तभी कर सकती है जब उसके पास

अपने कस्टमर की नॉर्मल और सही एक्टिविटी को समझना ताकि उनके पास उन ट्रांज़ैक्शन को पहचानने का तरीका हो जो रेगुलर एक्टिविटी पैटर्न से बाहर हैं। कंपनी एक सही सिस्टम/मैकेनिज़्म बनाएगी ताकि जब ट्रांज़ैक्शन ऊपर पैराग्राफ 3.4 में बताए गए रिस्क कैटेगरी और कस्टमर्स की अपडेटेड प्रोफाइल से मेल न खाएं तो अलर्ट भेजा जा सके। कंपनी को यह पक्का करना चाहिए कि कस्टमर्स के साथ हुए ट्रांज़ैक्शन का रिकॉर्ड नीचे पैराग्राफ 6 और 7 में बताई गई ज़रूरतों के हिसाब से सुरक्षित रखा जाए।

1. ज़िम्मेदारी

4.1. कंपनी के पास एक डेज़िग्नेटेड डायरेक्टर है जिसे उसके बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने नॉमिनेट, अपॉइंट, सही तरीके से ऑथराइज़्ड और डेज़िग्नेटेड किया है। इसका मकसद यह पक्का करना है कि कंपनी एक्ट और उसके नियमों के तहत लगाई गई ज़िम्मेदारियों का पूरी तरह से पालन करे। कंपनी ने डेज़िग्नेटेड डायरेक्टर का नाम, डेज़िग्नेशन, पता और कॉन्टैक्ट डिटेल्स FIU-IND और RBI को बता दी हैं। कंपनी का डेज़िग्नेटेड डायरेक्टर कंपनी के प्रिंसिपल ऑफिसर के अलावा कोई और व्यक्ति होता है।

1. 4.2. कंपनी ने 'प्रिंसिपल ऑफिसर' भी नियुक्त किया है, जो मैनेजमेंट लेवल पर एक ऑफिसर है।

कंपनी के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स द्वारा नॉमिनेट किया गया और जो RBI के नियमों का पालन पक्का करने के लिए ज़िम्मेदार है

ज़रूरतें और ऐसी दूसरी ज़रूरतें, ट्रांज़ैक्शन की मॉनिटरिंग और लागू कानून और नियमों के तहत ज़रूरी जानकारी शेयर करना और रिपोर्ट करना। कंपनी ने प्रिंसिपल ऑफिसर का नाम, डेज़िगनेशन, पता और कॉन्टैक्ट डिटेल्स FIU-IND और RBI को बता दी हैं।

2.

3. 4.3 कंपनी अपनी KYC और AML पॉलिसी का पालन इन तरीकों से पक्का करेगी:

1. सी-सूट के अधिकारी और विभागाध्यक्ष (बिक्री, क्रेडिट, संग्रह, परिचालन, डिजिटल, मानव संसाधन और प्रशासन कार्यों में से प्रत्येक के लिए) केवाईसी अनुपालन और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन ("वरिष्ठ प्रबंधन") का गठन करेंगे।
2. पॉलिसी और प्रोसेस को असरदार तरीके से लागू करने के लिए जिम्मेदारी का बंटवारा।
3. KYC/AML पॉलिसी और प्रोसीजर के कम्प्लायंस को वेरिफाई करने के लिए एक साथ/इंटरनल ऑडिट सिस्टम।
4. ऑडिटर्स की तिमाही ऑडिट रिपोर्ट और कम्प्लायंस को अपने बोर्ड को जमा करना।
5. कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट, कंपनी की अपनी पॉलिसी और प्रोसेस का इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करने में अहम भूमिका निभाएगा, जिसमें कानूनी और रेगुलेटरी ज़रूरतें शामिल हैं। कंपनी यह पक्का करेगी कि KYC नॉर्म्स का पालन तय करने का फैसला लेने का काम आउटसोर्स न किया जाए।

1. 4.4. कंपनी यह पक्का करेगी कि KYC नियमों का पालन तय करने के फैसले लेने का काम सही तरीके से हो।
आउटसोर्स नहीं किया गया।

5. लगातार जांच-पड़ताल ("ODD") और मूल्यांकन

5.1. कंपनी हर कस्टमर के साथ बिज़नेस रिलेशनशिप के बारे में कस्टमर्स की लगातार ड्यू डिलिजेंस करेगी और ट्रांज़ैक्शन की बारीकी से जांच करेगी ताकि यह पक्का हो सके कि वे कस्टमर, बिज़नेस और रिस्क प्रोफाइल और फंड/वैल्यू के सोर्स के बारे में उनकी जानकारी के हिसाब से हैं। कंपनी रिस्क को असरदार तरीके से कंट्रोल और कम तभी कर सकती है जब उसे कस्टमर की नॉर्मल और सही एक्टिविटी की समझ हो ताकि उनके पास उन ट्रांज़ैक्शन को पहचानने का तरीका हो जो एक्टिविटी के रेगुलर पैटर्न से बाहर हैं। हालांकि, ODD के लिए सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि ODD/मॉनिटरिंग की हद कस्टमर की रिस्क कैटेगरी के हिसाब से होगी। ज़्यादा रिस्क वाले कस्टमर्स पर MD के हिसाब से ज़्यादा मॉनिटरिंग की जाएगी।

1. कंपनी ने KYC के समय-समय पर अपडेट के लिए रिस्क बेस्ड तरीका अपनाया है। यह पक्का किया जाता है कि CDD के तहत इकट्ठा की गई जानकारी या डेटा अप-टू-डेट और काम का रहे, खासकर जहाँ ज़्यादा रिस्क हो। पूरा KYC किया जाएगा, ज़्यादा रिस्क वाले कस्टमर्स के लिए हर दो साल में कम से कम एक बार, मीडियम रिस्क वाले कस्टमर्स के लिए हर आठ साल में कम से कम एक बार और कम रिस्क वाले कस्टमर्स के लिए हर दस साल में कम से कम एक बार, अकाउंट खोलने/आखिरी KYC अपडेट की तारीख से। हर कस्टमर:

A. व्यक्तिगत ग्राहक:

a. a) KYC जानकारी में कोई बदलाव नहीं: अगर KYC जानकारी में कोई बदलाव नहीं होता है, तो इस बारे में कस्टमर से एक सेल्फ-डिक्लैरेशन कंपनी के साथ रजिस्टर्ड कस्टमर की ईमेल-आईडी, कंपनी के साथ रजिस्टर्ड कस्टमर के मोबाइल नंबर, डिजिटल चैनल (जैसे कंपनी का ऑनलाइन/मोबाइल एप्लीकेशन), लेटर के ज़रिए लिया जाएगा।

वगैरह।

a. b) पते में बदलाव: अगर कस्टमर के सिर्फ पते की जानकारी में कोई बदलाव होता है, तो नए पते का सेल्फ-डिक्लैरेशन कस्टमर से कंपनी के साथ रजिस्टर्ड उसकी ईमेल-आईडी, कंपनी के साथ रजिस्टर्ड कस्टमर का मोबाइल नंबर, डिजिटल चैनल (जैसे कंपनी का ऑनलाइन/मोबाइल एप्लीकेशन), लेटर वगैरह के ज़रिए लिया जाएगा, और बताए गए पते को कंपनी दो महीने के अंदर पॉज़िटिव कन्फर्मेशन के ज़रिए वेरिफाई करेगी, जैसे कि पता वेरिफिकेशन लेटर, कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन, डिलिवरेबल्स वगैरह। इसके अलावा, कंपनी, अपने ऑफ़िशन पर, पते के प्रूफ के लिए, कस्टमर द्वारा समय-समय पर अपडेट के समय बताए गए OVD या डीमड OVD या उसके बराबर के ई-डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी ले सकती है।

a. C) जो कस्टमर अकाउंट खोलते समय नाबालिग थे, उनके बालिग होने पर अकाउंट: जिन कस्टमर का अकाउंट नाबालिग होने पर खोला गया था, उनके बालिग होने पर नए फोटो लिए जाएंगे और उस समय यह पक्का किया जाएगा कि कंपनी के पास मौजूदा CDD स्टैंडर्ड के हिसाब से CDD डॉक्यूमेंट मौजूद हों। जहाँ भी ज़रूरत हो, कंपनी ऐसे कस्टमर का, यानी जिन कस्टमर का अकाउंट नाबालिग होने पर खोला गया था, बालिग होने पर नए KYC कर सकती है।

1. d) समय-समय पर अपडेट के लिए नॉन-फेस टू फेस मोड में आधार OTP बेस्ड e-KYC का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मौजूदा पता आधार में दिए गए पते से अलग है, तो इस मामले में मौजूदा पते की घोषणा के लिए पॉजिटिव कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं होगी। कंपनी यह पक्का करेगी कि आधार ऑथेंटिकेशन के लिए मोबाइल नंबर वही हो जो कस्टमर की प्रोफाइल में उनके पास मौजूद है, ताकि किसी भी फ्रॉड को रोका जा सके।

2.

3. B. व्यक्तियों के अलावा अन्य ग्राहक: 4.

क. केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं: कानूनी इकाई ग्राहक की केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं होने की स्थिति में ("एलई कस्टमर"), इस बारे में LE कस्टमर से कंपनी के साथ रजिस्टर्ड उसकी ईमेल आईडी, ATM, डिजिटल चैनल (जैसे ऑनलाइन बैंकिंग / इंटरनेट बैंकिंग, कंपनी का मोबाइल एप्लीकेशन), इस बारे में LE कस्टमर द्वारा ऑथराइज़्ड किसी अधिकारी का लेटर, बोर्ड का प्रस्ताव, वगैरह के ज़रिए एक सेल्फ-डिक्लरेशन लिया जाएगा। इसके अलावा, कंपनी इस प्रोसेस के दौरान यह पक्का करेगी कि उनके पास मौजूद बेनिफिशियल ओनरशिप (BO) की जानकारी सही है और अगर ज़रूरत हो, तो इसे जितना हो सके अप-टू-डेट रखने के लिए अपडेट करेगी। b. KYC जानकारी में बदलाव: KYC जानकारी में बदलाव होने पर, कंपनी KYC प्रोसेस करेगी।

नए LE कस्टमर को ऑन बोर्डिंग के लिए लागू होने वाले के बराबर।

C. अतिरिक्त उपाय: ऊपर बताए गए उपायों के अलावा, कंपनी यह पक्का करेगी कि:

1.

a. मौजूदा CDD स्टैंडर्ड के हिसाब से कस्टमर के KYC डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद हैं। यह तब भी लागू होता है जब कस्टमर की जानकारी में कोई बदलाव न हो, लेकिन कंपनी के पास मौजूद डॉक्यूमेंट मौजूदा CDD स्टैंडर्ड के हिसाब से न हों। इसके अलावा, अगर KYC के समय-समय पर अपडेट के समय कंपनी के पास मौजूद CDD डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, तो कंपनी नए कस्टमर को ऑनबोर्ड करने के लिए लागू KYC प्रोसेस के बराबर ही KYC प्रोसेस करेगी।

b. अगर कंपनी के पास कस्टमर की PAN डिटेल्स हैं, तो उन्हें KYC के पीरियोडिक अपडेशन के समय जारी करने वाली अथॉरिटी के डेटाबेस से वेरिफाई किया जाता है। c. कस्टमर को संबंधित डॉक्यूमेंट्स मिलने की तारीख बताते हुए एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है, जिसमें पीरियोडिक

अपडेशन करने के लिए कस्टमर की ओर से सेल्फ-डिक्लरेशन भी शामिल है। इसके अलावा, यह पक्का किया जाएगा कि KYC के पीरियोडिक अपडेशन के समय कस्टमर से मिली जानकारी/डॉक्यूमेंट्स कंपनी के रिकॉर्ड/डेटाबेस में तुरंत अपडेट किए जाएं और KYC डिटेल्स के अपडेशन की तारीख बताते हुए कस्टमर को एक जानकारी दी जाए। d. कस्टमर की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी किसी भी ब्रांच में KYC के पीरियोडिक अपडेशन की सुविधा उपलब्ध करा सकती है। कंपनी ने KYC के पीरियोडिक अपडेशन के संबंध में रिस्क-बेस्ड तरीका अपनाया है।

4. कंपनी कस्टमर्स को सलाह देगी कि नियमों का पालन करने के लिए, अगर बिज़नेस रिलेशनशिप / अकाउंट-बेस्ड रिलेशनशिप शुरू करते समय और उसके बाद कस्टमर द्वारा जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स में कोई अपडेट होता है, तो ज़रूरत पड़ने पर कस्टमर्स कंपनी को ऐसे डॉक्यूमेंट्स का अपडेट जमा करेंगे। यह डॉक्यूमेंट्स में अपडेट होने के 30 दिनों के अंदर किया जाएगा ताकि कंपनी की तरफ से रिकॉर्ड अपडेट किए जा सकें।

5. मौजूदा कस्टमर्स के मामले में, कंपनी कस्टमर से परमानेंट अकाउंट नंबर या उसका बराबर का ई-डॉक्यूमेंट या फॉर्म नंबर 60 लेगी। ऐसा न करने पर, कंपनी तब तक अकाउंट में ऑपरेशन बंद कर देगी जब तक कस्टमर परमानेंट अकाउंट नंबर या उसका बराबर का ई-डॉक्यूमेंट या फॉर्म नंबर 60 जमा नहीं कर देता। लेकिन, किसी अकाउंट का ऑपरेशन कुछ समय के लिए बंद करने से पहले, कंपनी कस्टमर को एक आसान नोटिस और अपनी बात रखने का सही मौका देगी। इसके अलावा, कंपनी उन कस्टमर्स को अकाउंट चालू रखने के लिए सही छूट देगी जो चोट, बीमारी या बुढ़ापे या किसी और वजह से कमज़ोरी की वजह से परमानेंट अकाउंट नंबर या उसका बराबर का ई-डॉक्यूमेंट या फॉर्म नंबर 60 नहीं दे पाते। हालांकि, ऐसे अकाउंट पर ज़्यादा नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा, अगर कोई कस्टमर जिसका कंपनी के साथ पहले से अकाउंट-बेस्ड रिश्ता है, कंपनी को लिखकर देता है कि वह अपना परमानेंट अकाउंट नंबर या उसके बराबर का ई-डॉक्यूमेंट या फॉर्म नंबर 60 जमा नहीं करना चाहता है, तो कंपनी अकाउंट बंद कर देगी और कस्टमर पर लागू होने वाले पहचान डॉक्यूमेंट लेकर कस्टमर की पहचान पता करने के बाद अकाउंट से जुड़ी सभी ज़िम्मेदारियों को ठीक से निपटाया जाएगा।

1. अकाउंट्स के रिस्क कैटेगरी के समय-समय पर रिव्यू का एक सिस्टम, जिसमें ऐसा समय-समय कम से कम छह महीने में एक बार हो। महीनों, और बेहतर ड्यू डिजिजेंस उपायों को लागू करने की ज़रूरत पर ध्यान दिया गया है। हाई रिस्क अकाउंट्स

इसकी मॉनिटरिंग और तेज़ की जाएगी।

2. ऐसे अकाउंट्स के लिए रिस्क कम करने के तरीके के तौर पर, कंपनी यह पक्का करेगी कि ट्रांज़ैक्शन अलर्ट, OTP, वगैरह सिर्फ़ कस्टमर के आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही भेजे जाएं। अगर कस्टमर मोबाइल नंबर बदलने की रिक्वेस्ट करता है, तो नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

1. कस्टमर को रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी होगी या मोबाइल बदलने के लिए कंपनी को लेटर भेजना होगा।
नंबर, (मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए),
2. कस्टमर से फॉर्मल रिक्वेस्ट मिलने पर, कंपनी आधार बेस्ड OTP वेरिफिकेशन शुरू करेगी।
मोबाइल नंबर,
3. मोबाइल नंबर के सफल वेरिफिकेशन के बाद, कस्टमर की डिटेल्स कंपनी के रिकॉर्ड में अपडेट की जाएंगी।

1. लगातार ड्यू डिलिजेंस के लिए, कंपनी असरदार मॉनिटरिंग में मदद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (AI & ML) टेक्नोलॉजी समेत सही इनोवेशन अपनाने पर विचार कर सकती है।

6. रिकॉर्ड प्रबंधन

- 6.1 कंपनी और ग्राहक के बीच सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के रिकॉर्ड, जिसमें ग्राहकों से प्राप्त केवाईसी दस्तावेज़ भी शामिल हैं, कंपनी द्वारा लेनदेन की तिथि से पाँच (5) वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा।

- 6.2 कंपनी अकाउंट खोलते समय और बिज़नेस रिलेशनशिप के दौरान मिले कस्टमर की पहचान और उनके पते से जुड़े रिकॉर्ड को, बिज़नेस रिलेशनशिप खत्म होने के बाद कम से कम पाँच साल तक सुरक्षित रखेगी;

- 6.3 कंपनी अनुरोध पर सक्षम अधिकारियों को पहचान रिकॉर्ड और लेनदेन डेटा तुरंत उपलब्ध कराएगी;

1. कंपनी अपने कस्टमर की पहचान और पते का सही रिकॉर्ड रखेगी, और सही रिकॉर्ड रखेगी,
जिसमें नियम 3 के अंतर्गत निर्धारित लेनदेन भी शामिल हैं।

1. कंपनी रूल्स के रूल 3 के तहत बताए गए ट्रांज़ैक्शन के बारे में सभी ज़रूरी जानकारी रखेगी, ताकि हर ट्रांज़ैक्शन को फिर से बनाया जा सके, जिसमें ये जानकारी शामिल है: b. ट्रांज़ैक्शन का नेचर, c. ट्रांज़ैक्शन का अमाउंट और वह करेंसी जिसमें वह डिनॉमिनेटेड था, d. वह तारीख जब ट्रांज़ैक्शन किया गया था, e. ट्रांज़ैक्शन में शामिल पार्टियाँ

1. कंपनी के पास अकाउंट की जानकारी को ठीक से मॉनिटर करने और सुरक्षित रखने का एक सिस्टम है, जिससे जब भी ज़रूरत हो या जब संबंधित अधिकारी कहें, डेटा आसानी से और जल्दी मिल सके।

2. कंपनी अपने ग्राहक की पहचान और पते का रिकॉर्ड और उससे संबंधित रिकॉर्ड रखेगी
नियमों के नियम 3 में हार्ड या सॉफ्ट प्रारूप में संदर्भित लेनदेन।

एक्सप्लेनेशन. – इस क्लॉज़ के मकसद के लिए, “आइडेंटिफिकेशन से जुड़े रिकॉर्ड”, “आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड”, वगैरह में आइडेंटिफिकेशन डेटा, अकाउंट फाइल्स, बिज़नेस कॉरिस्पॉन्डेंस और किए गए किसी भी एनालिसिस के नतीजों के अपडेटेड रिकॉर्ड शामिल होंगे।

1. कंपनी यह पक्का करेगी कि जो कस्टमर नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन हैं, उनके डिटेल्स कस्टमर नीति आयोग के DARPAN पोर्टल पर रजिस्टर्ड होते हैं। अगर वे रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो कंपनी DARPAN पोर्टल पर डिटेल्स रजिस्टर करेगी। कंपनी ऐसे रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड को कस्टमर और कंपनी के बीच बिज़नेस रिलेशनशिप खत्म होने या अकाउंट बंद होने के बाद, जो भी बाद में हो, पांच साल तक बनाए रखेगी।

1. लेन-देन की निगरानी

1. लगातार मॉनिटरिंग, असरदार KYC प्रोसेस का एक ज़रूरी हिस्सा है। ट्रांज़ैक्शन और उसकी हद की मॉनिटरिंग, अकाउंट के रिस्क प्रोफाइल और रिस्क सेंसिटिविटी को ध्यान में रखकर की जाएगी।
2. कंपनी सभी बड़े, मुश्किल, बहुत बड़े ट्रांज़ैक्शन, सभी अजीब पैटर्न पर खास/करीबी ध्यान देगी और उन्हें मॉनिटर करेगी, जो कस्टमर की नॉर्मल और उम्मीद की जाने वाली एक्टिविटी से अलग हों, जिनका कोई साफ़ आर्थिक कारण या कानूनी मकसद न हो। ज़्यादा रिस्क वाले कस्टमर्स पर ज़्यादा नज़र रखनी होगी।

1. ट्रांज़ैक्शन की रिपोर्टिंग

1. कंपनी, उस पर लागू सीमा तक, के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकता का अनुपालन सुनिश्चित करेगी फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट (FATCA) और कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स (CRS) का पालन किया जाएगा। कंपनी इनकम टैक्स नियमों के नियमों का पालन करेगी।
2. कंपनी, पीएमएल (रिकॉर्ड रखरखाव) नियम, 2005 के नियम 7 के अनुसार, इसके नियम 3 में संदर्भित सूचना, निदेशक, वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) को उपलब्ध कराएगी।
3. कंपनी उन अकाउंट्स के ऑपरेशन्स पर कोई रोक नहीं लगाएगी, जहां सस्पिशियस ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट ("STR") बनाई गई है। सस्पिशियस ट्रांज़ैक्शन की असरदार पहचान और रिपोर्टिंग के लिए, कस्टमर्स के रिस्क कैटेगरी और अपडेटेड प्रोफाइल के साथ ट्रांज़ैक्शन के मेल न खाने पर अलर्ट देने वाला मज़बूत सॉफ़्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। यह भी पक्का किया जाना चाहिए कि किसी भी लेवल पर कस्टमर को कोई टिप न दी जाए।

9. इंटरनल ML/TF रिस्क असेसमेंट

कंपनी समय-समय पर 'मनी लॉन्ड्रिंग (ML) और टेररिस्ट फाइनेंसिंग (TF) रिस्क असेसमेंट' एक्सरसाइज करेगी ताकि क्लाइंट्स, देशों या ज्योग्राफिकल एरिया, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज़, ट्रांज़ैक्शन या डिजिटली चैनल्स वगैरह के लिए अपने मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क को पहचानने, असेस करने और कम करने के लिए असरदार कदम उठाए जा सकें।

असेसमेंट प्रोसेस में, ओवरऑल रिस्क का लेवल और लागू किए जाने वाले सही लेवल और टाइप के मिटिगेशन को तय करने से पहले, ज़रूरी रिस्क फैक्टर्स पर विचार किया जाता है। इंटरनल रिस्क असेसमेंट तैयार करते समय, कंपनी उन सभी सेक्टर-स्पेसिफिक कमज़ोरियों का ध्यान रखेगी, अगर कोई हों, जिन्हें रेगुलेटर/सुपरवाइज़र समय-समय पर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी द्वारा किया गया रिस्क असेसमेंट ठीक से डॉक्यूमेंटेड होगा और कंपनी के नेचर, साइज़, ज्योग्राफिकल मौजूदगी, एक्टिविटीज़/स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह के हिसाब से होगा।

साथ ही, कंपनी रिस्क (खुद या नेशनल रिस्क असेसमेंट से पहचाने गए) को कम करने और मैनेजमेंट के लिए रिस्क बेस्ड अप्रोच (RBA) लागू करेगी और इस बारे में बोर्ड से मंज़ूर पॉलिसी, कंट्रोल और प्रोसीजर होंगे। कंपनी पहचाने गए ML/TF रिस्क और बिज़नेस के साइज़ को ध्यान में रखते हुए कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोग्राम लागू करेगी। इसके अलावा, कंपनी कंट्रोल को लागू करने पर नज़र रखेगी और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बढ़ाएगी।

इस तरह के रिस्क असेसमेंट एक्सरसाइज का समय-समय बोर्ड तय करेगा, जो रिस्क असेसमेंट एक्सरसाइज के नतीजे के हिसाब से होगा। हालांकि, इसका रिस्क कम से कम हर साल किया जाएगा।

इस एक्सरसाइज़ का नतीजा बोर्ड के सामने रखा जाएगा और यह काबिल अधिकारियों और सेल्फ-रेगुलेटिंग बॉडीज़ को भी मिलना चाहिए।

10. अपने कर्मचारी को जानें और कर्मचारी प्रशिक्षण

कंपनी ने एक एम्प्लॉई ड्यू डिलिजेंस प्रोग्राम या नो-योर-एम्प्लॉई प्रोसेस ("KYE") लागू किया है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से बचाता है, यह पक्का करता है कि उसके एम्प्लॉई जैसे अंदरूनी कामों से होने वाला रिस्क कम हो, और एम्प्लॉई दिए गए काम के लिए सही हो, और रेप्यूटेशनल, लीगल और ऑपरेशनल रिस्क से बचाता है और रेड फ्लैग पहचानने में मदद करता है।

KYE में कर्मचारी के साथ काम करने का पूरा समय शामिल होता है (यानी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस से लेकर, कर्मचारी के साथ चल रहे रिश्ते और अगर ज़रूरत हो, तो नौकरी से निकालना)। KYE का तरीका रिस्क पर आधारित है, और ज़्यादा रिस्क वाले रोल में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ज़्यादा कड़े स्क्रीनिंग प्रोसेस की ज़रूरत होती है। जब कोई कर्मचारी नए रोल में जाता है, तो कंपनी (रिस्क असेसमेंट और कंट्रोल के आधार पर) यह तय करेगी कि नए रोल के लिए कर्मचारी को अपडेट करने या रीस्क्रीनिंग प्रोसेस करने की ज़रूरत है या नहीं और कितनी बार, और क्या उनका रोल उन्हें ML/TF अपराध करने में मदद करने की स्थिति में डालता है। इन प्रोसेस को डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए और अगर यह पता चलता है कि कर्मचारी द्वारा दी गई जानकारी गलत है, तो इसमें डिसिप्लिनरी एक्शन भी शामिल होना चाहिए।

- A. होने वाले कर्मचारियों को स्क्रीन करने के लिए, कंपनी उनसे उनकी काबिलियत तय करने में मदद के लिए नीचे दी गई जानकारी मांगेगी:

-
- - रोजगार इतिहास
- - रेफरेंस चेक - कैरेक्टर और पिछले एम्प्लॉयर से
- - पहचान और पहचान सत्यापित करें
- - रिस्क असेसमेंट के आधार पर ज़रूरत के हिसाब से पुलिस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेक
- - उन पोस्ट के लिए जिनके लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन और/या प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, जैसे वकील या अकाउंटेंट, यह कन्फर्मेशन कि वह व्यक्ति संबंधित प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर है।
- - एकेडमिक क्वालिफिकेशन (होने वाले एम्प्लॉई के रोल के रिस्क और नॉलेज के आधार पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के असली होने की जांच)
- - क्रेडिट जांच

कंपनी एम्प्लॉई की पहचान की जानकारी, सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, परफॉर्मंस रिव्यू वगैरह का अप-टू-डेट रिकॉर्ड रखेगी ताकि पता चल सके कि एम्प्लॉई का फ़ाइनेंशियल रिस्क लेवल बदलता है या नहीं। कंपनी यह भी चेक करेगी कि एम्प्लॉई पर कोई कोर्ट या कानूनी कार्रवाई तो नहीं हो रही है और अगर एम्प्लॉई ज़्यादा रिस्क वाले देशों या विदेश में लंबे समय तक रहा है तो और चेक की ज़रूरत हो सकती है।

- B. कंपनी ने एक कोड ऑफ़ कंडक्ट या एम्प्लॉई हैंडबुक या एथिक्स भी बनाया है जिसमें कंपनी की नौकरी की शर्तें बताई गई हैं, जिसमें कॉम्प्लैट ऑफ़ इंटेरेस्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसी और सज़ाएँ शामिल हैं जिनका एम्प्लॉई को पालन करना होगा। इसके अलावा, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी और नौकरी खत्म करने से जुड़ी प्रोसेस जो सेंसिटिव जानकारी की सुरक्षा करती हैं और यह पक्का करती हैं कि नौकरी के बाद भी जानकारी की कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे, उन्हें भी कंपनी बनाए रखती है और एम्प्लॉई को उनका पालन करना ज़रूरी है।

1. C. कंपनी को कर्मचारियों को अपने पद का गलत इस्तेमाल करने से रोकने के लिए सुरक्षा उपाय लागू करने चाहिए।

उदाहरण के लिए, कंपनी को किसी कर्मचारी को सिर्फ़ ऐसी जानकारी और सिस्टम का एक्सेस देना चाहिए जो उसके रोल और ज़िम्मेदारियों से जुड़ा हो। इसके अलावा, उसे कर्मचारियों पर नज़र रखनी चाहिए और उनकी एक्टिविटी का रेगुलर ऑडिट करना चाहिए। मैनेजर्स को अपने सुपरविज़न में काम करने वाले कर्मचारियों से रेगुलर बातचीत करते रहना चाहिए।

उन्हें एम्प्लॉई की ज़िम्मेदारियों, काम के माहौल/कल्चर, रोल और/या करियर के लक्ष्यों, और वर्क-लाइफ़ बैलेंस पर बात करनी चाहिए।

2.

ऊपर बताई गई बातों के अलावा, KYE प्रोग्राम को और बेहतर बनाने के लिए, एक लगातार चलने वाला एम्प्लॉई ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा ताकि एम्प्लॉई को KYC/AML/CFT पॉलिसी में अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जा सके। ट्रेनिंग का फोकस फ्रंटलाइन स्टाफ, कंप्लायंस स्टाफ और नए कस्टमर के साथ काम करने वाले स्टाफ के लिए अलग-अलग होगा। फ्रंट डेस्क स्टाफ को कस्टमर की जानकारी की कमी से होने वाली दिक्कतों को संभालने के लिए खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ऑडिट फंक्शन के लिए ऐसे लोगों को सही स्टाफिंग दी जाएगी जो कंपनी की KYC/AML/CFT पॉलिसी, रेगुलेशन और उससे जुड़े मामलों में अच्छी तरह से ट्रेंड और जानकार हों।

यह पक्का किया जाएगा कि AML प्रोसीजर में इसे लागू किया जाएगा। कंपनी कस्टमर को KYC प्रोग्राम के मकसद के बारे में बताने के लिए खास लिटरेचर/पैम्फलेट वगैरह तैयार करेगी।

कंपनी को कर्मचारियों को यह भी बताना चाहिए कि बिज़नेस को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें क्या उम्मीद करनी चाहिए – और उनसे क्या उम्मीद की जाती है। कंपनी के कर्मचारियों को गोपनीयता भंग होने या बुरे व्यवहार के मामले में लगने वाली सज़ा और सज़ा के बारे में पता होना चाहिए। कर्मचारियों के लिए समय-समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे ताकि उनके पास सही स्क्रीनिंग सिस्टम हो, जो उनके कर्मचारियों की भर्ती/हायरिंग प्रोसेस का एक ज़रूरी हिस्सा होगा।

1.

2. कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि केवाईसी/एएमएल/सीएफटी मामलों से निपटने वाले/तैनात किए जा रहे कर्मचारियों के पास उच्च ईमानदारी और नैतिक स्टैंडर्ड, मौजूदा KYC/AML/CFT स्टैंडर्ड की अच्छी समझ, असरदार कम्युनिकेशन स्किल और देश और विदेश में बदलते KYC/AML/CFT माहौल के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता। कंपनी ऐसा माहौल बनाने की भी कोशिश करेगी जो स्टाफ के बीच खुली बातचीत और पूरी ईमानदारी को बढ़ावा दे।

11. गोपनीयता

कंपनी और कस्टमर के बीच कॉन्ट्रैक्ट से मिली कस्टमर की जानकारी को कंपनी सीक्रेट रखेगी।

अकाउंट खोलने के लिए कस्टमर्स से इकट्ठा की गई जानकारी को कॉन्फिडेंशियल माना जाएगा और इसकी डिटेल्स क्रॉस सेलिंग या किसी और मकसद के लिए कस्टमर की साफ़ इजाज़त के बिना नहीं बताई जाएंगी। इस नियम के एक्सेप्शन नीचे दिए गए होंगे:

- 11.1. जहां डिस्क्लोजर कानून की मजबूरी में हो;
- 11.2. जहां पब्लिक के प्रति डिस्क्लोजर करना ड्यूटी हो;
- 11.3. कंपनी के हित के लिए डिस्क्लोजर ज़रूरी हो;
- 11.4. जहां डिस्क्लोजर कस्टमर की साफ़ या छिपी हुई सहमति से किया गया हो।

12. अन्य जानकारी 11

1. 12.1. कंपनी किसी भी मनी-लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के खतरों की फाइनेंसिंग पर पूरा ध्यान देगी।
जो नई या विकसित हो रही टेक्नोलॉजी से उत्पन्न हो सकती हैं और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उत्पाद/सेवाएं/टेक्नोलॉजी।
- 2.
3. 12.2. नए रिश्ते बनाते समय यूनिफ़ कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड ("UCIC") दिया जाएगा।
कंपनी द्वारा व्यक्तिगत ग्राहकों के साथ-साथ मौजूदा व्यक्तिगत ग्राहकों को भी शामिल किया जाएगा।
- 4.
5. 12.3. कंपनी का बोर्ड KYC और AML पॉलिसी का सालाना या उससे पहले के अंतराल पर रिव्यू करेगा, अगर
क्या कोई रेगुलेटरी बदलाव हैं जिनके लिए ऐसे अंतरिम रिव्यू की ज़रूरत है?

13. नई तकनीकों का परिचय:

- 1.
2. 13.1. कंपनी नए प्रोडक्ट्स और नए बिज़नेस प्रैक्टिस के डेवलपमेंट से जुड़े ML/TF रिस्क की पहचान करेगी और उनका असेसमेंट करेगी, जिसमें नए डिलीवरी
मैकेनिज्म, और नए और पहले से मौजूद प्रोडक्ट्स के लिए नई या डेवलप हो रही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शामिल है।

13.2 इसके अलावा, कंपनी यह पक्का करेगी:

- क.
- ख. क) ऐसे उत्पादों, प्रथाओं, सेवाओं के लॉन्च या उपयोग से पहले एमएल/टीएफ जोखिम आकलन करना,
प्रौद्योगिकियां; और
- c. b) सही और बेहतर ड्यू डिलिजेंस के ज़रिए रिस्क को मैनेज करने और कम करने के लिए रिस्क-बेस्ड तरीका अपनाना
उपाय और ट्रांज़ैक्शन मॉनिटरिंग, वगैरह।

14. गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) (यूएपीए) अधिनियम, 1967 के तहत दायित्व:

कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 और उसके संशोधनों (यूएपीए) के अनुसार, ग्राहक का नाम आतंकवादियों से संबंध रखने के संदिग्ध व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में नहीं दिखाई दे, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित और समय-समय पर प्रसारित किया जाता है। कंपनी समय-समय पर संशोधित आतंकवाद की रोकथाम और दमन (सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का कार्यान्वयन) आदेश, 2007 की अनुसूचियों में उपलब्ध सूचियों का भी संदर्भ लेगी। उपरोक्त सूचियाँ, अर्थात्, यूएनएससी प्रतिबंध सूचियाँ और आतंकवाद की रोकथाम और दमन (सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का कार्यान्वयन) आदेश, 2007 की अनुसूचियों में उपलब्ध सूचियाँ, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, दैनिक आधार पर सत्यापित की जाएंगी और सूची में जोड़ने, हटाने या अन्य परिवर्तनों के संदर्भ में किसी भी संशोधन को कंपनी द्वारा सावधानीपूर्वक अनुपालन के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

UAPA, 1967 की धारा 51A के तहत संपत्तियों को फ्रीज करना: 2 फरवरी, 2021 के UAPA आदेश में बताई गई प्रक्रिया का कंपनी द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा और सरकार द्वारा जारी आदेश का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

15. सामूहिक विनाश के हथियार (WMD) और उनकी डिलीवरी सिस्टम (गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक) एक्ट, 2005 के तहत ज़िम्मेदारियां (WMD एक्ट, 2005)

कंपनी WMD अधिनियम, 2005 की धारा 12A के अनुसार 1 सितंबर, 2023 के वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार निर्धारित "सामूहिक विनाश के हथियार (WMD) और उनके वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12A के कार्यान्वयन की प्रक्रिया" का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

भारत। कंपनी प्रतिदिन 'यूएनएससीआर 1718 नामित व्यक्तियों और संस्थाओं की प्रतिबंध सूची' का सत्यापन करेगी, जैसा कि <https://www.mea.gov.in/Implementation-of-UNSC-Sanctions-DPRK.htm> पर उपलब्ध है, ताकि सूची में किसी भी प्रकार के संशोधन, विलोपन या अन्य परिवर्तनों को ध्यान में रखा जा सके और साथ ही केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित 'डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया आदेश, 2017 पर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के कार्यान्वयन' का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, कंपनी इन बातों को भी ध्यान में रखेगी - (ए) अन्य यूएनएससीआर और (बी) यूएपीए, 1967 की पहली और चौथी अनुसूची की सूचियां और यूएपीए की धारा 51ए और डब्ल्यूएमडी अधिनियम की धारा 12ए के कार्यान्वयन पर सरकारी आदेशों के अनुपालन के लिए इसमें कोई भी संशोधन।

16. आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला

कंपनी समय-समय पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स ("FATF") स्टेटमेंट्स और पब्लिक में मौजूद जानकारी पर विचार करेगी, ताकि उन देशों की पहचान की जा सके जो FATF रिकमेन्डेशन्स को लागू नहीं करते हैं या ठीक से नहीं करते हैं। कंपनी उन देशों के आम और कानूनी लोगों (फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स सहित) के साथ बिज़नेस रिश्तों और लेन-देन के लिए, जिनके लिए FATF ने ऐसा करने को कहा है, बेहतर ड्यू डिलिजेंस उपाय लागू करेगी, जो असरदार और जोखिमों के हिसाब से सही हों। उन देशों के लोगों (कानूनी लोगों और दूसरे फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स सहित) के साथ बिज़नेस रिश्तों और लेन-देन पर खास ध्यान दिया जाएगा जो FATF रिकमेन्डेशन्स को लागू नहीं करते हैं या ठीक से नहीं करते हैं और FATF स्टेटमेंट्स में शामिल अधिकार क्षेत्र हैं।

17. वित्तीय खुफिया इकाई को रिपोर्टिंग - भारत

एक्ट और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कैश ट्रांज़ैक्शन और संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन सहित रिकॉर्ड की जानकारी/रिपोर्टिंग, FIU-IND के डायरेक्टर को तय फ़ॉर्मेट में और एक्ट और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत तय समय के अंदर दी जाएगी।

कंपनी, उसके डायरेक्टर, अधिकारी और सभी कर्मचारी यह पक्का करेंगे कि रूल्स के रूल 3 में बताए गए रिकॉर्ड को मेटेन करने और डायरेक्टर, FIU-IND को जानकारी देने की बात कॉन्फिडेंशियल हो। हालांकि, ऐसी कॉन्फिडेंशियलिटी की ज़रूरत MD के पैराग्राफ 4(b) के तहत किसी भी ऐसे ट्रांज़ैक्शन और एक्टिविटी के एनालिसिस की जानकारी शेयर करने में रुकावट नहीं डालेगी जो अजीब लगे, अगर ऐसा कोई एनालिसिस किया गया हो।

18. नीति की समीक्षा / संशोधन

बोर्ड हर साल या ज़रूरत पड़ने पर उससे पहले पॉलिसी का रिव्यू करेगा और उस बारे में सभी कदम उठाएगा। इस पॉलिसी को हमेशा RBI की गाइडलाइंस, निर्देशों और इंस्ट्रक्शन्स के साथ समय-समय पर पढ़ा जाना चाहिए।



ग्राहक स्वीकृति नीति

कंपनी की कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी के नियमों के अलावा, कंपनी यह पक्का करेगी कि:

- a. कंपनी द्वारा गुमनाम या काल्पनिक/बिनामी नामों से कोई खाता नहीं खोला जाएगा।
- b. अगर कंपनी सही CDD तरीके लागू नहीं कर पाती है, तो कोई अकाउंट नहीं खोला जाएगा, चाहे वह कस्टमर के सहयोग न करने या कस्टमर के दिए गए डॉक्यूमेंट/जानकारी भरोसेमंद न होने की वजह से हो। अगर कंपनी कस्टमर के संबंध में ज़रूरी CDD तरीकों का पालन नहीं कर पाती है, तो ज़रूरी होने पर वह STR फाइल करने पर विचार करेगी।
- c. CDD प्रोसीजर को फॉलो किए बिना कोई भी ट्रांज़ैक्शन या अकाउंट-बेस्ड रिलेशनशिप नहीं किया जाता है।
- डी. अकाउंट खोलते समय और समय-समय पर अपडेट करते समय KYC के लिए मांगी जाने वाली ज़रूरी जानकारी इस KYC और AML पॉलिसी के Annexure 3 में बताई गई होगी और समय-समय पर बदली या बताई जाएगी।
किसी भी छूट पर प्रिंसिपल ऑफिसर से बात की जाएगी और प्रिंसिपल ऑफिसर का फैसला (KYC और AML पॉलिसी के हिसाब से) आखिरी और ज़रूरी होगा।
- ई. अगर कस्टमर से कोई और जानकारी लेनी है, जो इस KYC और AML पॉलिसी में नहीं बताई गई है, तो कंपनी कस्टमर की साफ़ सहमति से ऐसी और जानकारी लेगी।
- कंपनी UCIC लेवल पर CDD प्रोसेस लागू करेगी। इस तरह, अगर कंपनी का कोई मौजूदा KYC कम्प्लायंट कस्टमर कंपनी में दूसरा अकाउंट खोलना चाहता है, तो उसे नए CDD प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होगी।
- g. जॉइंट अकाउंट खोलते समय सभी जॉइंट अकाउंट होल्डर्स के लिए CDD प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। h. किन हालात में, किसी कस्टमर को किसी दूसरे व्यक्ति/एंटिटी की तरफ से काम करने की इजाज़त है, यह साफ़-साफ़ बताया गया है।
- i. यह पक्का करने के लिए सही सिस्टम बनाया गया है कि कस्टमर की पहचान किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था से मेल न जाए, जिसका नाम MD के चैप्टर IX में बताई गई सैंक्शन लिस्ट में हो।
- j. लिस्ट में दिए गए किसी भी व्यक्ति/संस्था से मिलते-जुलते अकाउंट की डिटेल्स FIU-IND को रिपोर्ट की जाएंगी, साथ ही UAPA नोटिफिकेशन 21 फरवरी, 2021 के तहत होम मिनिस्ट्री को भी सलाह दी जाएगी।
- के. कंपनी यूएपीए, 1967 की पहली और चौथी अनुसूची में अन्य यूएनएससीआर और सूचियों और यूएपीए की धारा 51ए और डब्ल्यूएमडी अधिनियम की धारा 12ए के कार्यान्वयन पर सरकारी आदेशों के अनुपालन के लिए उसमें किए गए किसी भी संशोधन को ध्यान में रखेगी।
- एल. जहां परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) मिला है, उसे जारी करने वाली अथॉरिटी की वेरिफिकेशन सुविधा से वेरिफाई किया जाएगा। जहां गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की जानकारी उपलब्ध है, वहां GST नंबर को जारी करने वाली अथॉरिटी की सर्च/वेरिफिकेशन सुविधा से वेरिफाई किया जाएगा।
- म. जहां कंपनी को मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग का शक होता है, और उसे लगता है कि CDD प्रोसेस करने से कस्टमर को खबर मिल जाएगी, तो वह CDD प्रोसेस नहीं करेगी, और इसके बजाय FIU-IND के पास STR फाइल करेगी। n. जहां कस्टमर से कोई मिलता-जुलता ई-डॉक्यूमेंट मिलता है, तो कंपनी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 (21 of 2000) के नियमों के अनुसार डिजिटल सिग्नेचर को वेरिफाई करेगी।
- जहां वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विवरण उपलब्ध हैं, वहां जीएसटी नंबर को जारी करने वाले प्राधिकारी की खोज/सत्यापन सुविधा से सत्यापित किया जाएगा।

पी. कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी के तहत आम लोगों को, खासकर उन्हें जो आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, बैंकिंग/फाइनेंशियल सुविधा से मना नहीं किया जाएगा।

कस्टमर आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कस्टमर की पहचान करना और रिश्ता बनाते समय भरोसेमंद, इंडिपेंडेंट सोर्स डॉक्यूमेंट्स, डेटा या जानकारी का इस्तेमाल करके उसकी पहचान वेरिफाई करना। कंपनी हर नए कस्टमर की पहचान, चाहे वह रेगुलर हो या कभी-कभार, और रिश्ते का मकसद पता लगाने के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए PAN, वोटर ID कार्ड / पासपोर्ट / ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसी ज़रूरी जानकारी लेगी।

कंपनी इन मामलों में कस्टमर्स की पहचान करेगी:

- क. कस्टमर के साथ अकाउंट-बेस्ड रिलेशनशिप की शुरुआत।
-
- b. जब मिले कस्टमर आइडेंटिफिकेशन डेटा के असली होने या काफ़ी होने पर शक हो।
-
- c. ऐसे कस्टमर के लिए ट्रांज़ैक्शन करना जो अकाउंट से बाहर हों, यानी वॉक-इन कस्टमर, जिसमें रकम पचास हजार रुपये के बराबर या उससे ज़्यादा हो, चाहे वह एक ट्रांज़ैक्शन हो या कई ट्रांज़ैक्शन जो जुड़े हुए लगे।
-
- d. जब कंपनी को यह मानने का कारण हो कि कोई ग्राहक (खाता-आधारित या वॉक-इन) जानबूझकर पचास हजार रुपये की सीमा से कम के लेन-देन की एक श्रृंखला बना रहा है।

ई. जहां भी लागू हो, तीसरे पक्ष के उत्पादों को एजेंट के रूप में बेचना, अपने स्वयं के उत्पादों और किसी अन्य उत्पाद को पचास हजार रुपये से अधिक में बेचना

अनुलग्नक 3

KYC और समय-समय पर अपडेट करने के लिए मांगी जाने वाली ज़रूरी जानकारी

एक।

b. 1.1 अकाउंट-बेस्ड रिश्ता बनाते समय व्यक्ति से MD के तहत बताए गए सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स या उसके बराबर के ई-डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे।

c.

d. 1.2 कंपनी के अलग-अलग कस्टमर्स का कस्टमर ड्यू डिलिजेंस/वेरिफिकेशन कंपनी खुद या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी/थर्ड पार्टी के ज़रिए कर सकती है। अकाउंट-बेस्ड रिलेशनशिप शुरू होने के समय कस्टमर्स की पहचान वेरिफाई करने के मकसद से, कंपनी, नीचे दी गई शर्तों के तहत, किसी थर्ड पार्टी द्वारा किए गए कस्टमर ड्यू डिलिजेंस पर भरोसा कर सकती है:

- a. a) थर्ड पार्टी द्वारा किए गए कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के रिकॉर्ड या जानकारी तुरंत मिल जाती है किसी तीसरे पक्ष से या सेंट्रल KYC रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री से।
- a. b) कंपनी यह पक्का करने के लिए काफ़ी कदम उठाती है कि पहचान डेटा और दूसरी चीज़ों की कॉपी सुरक्षित हैं। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की ज़रूरतों से जुड़े ज़रूरी डॉक्यूमेंट, रिक्वेस्ट करने पर बिना देर किए थर्ड पार्टी से मिल जाएंगे।
- a. c) थर्ड पार्टी को रेगुलेट, सुपरवाइज़ या मॉनिटर किया जाता है, और उसके पास कम्प्लायंस के लिए उपाय मौजूद हैं। एक्ट के तहत ज़रूरतों और ज़िम्मेदारियों के हिसाब से कस्टमर ड्यू डिलिजेंस और रिकॉर्ड रखने की ज़रूरतें।
- a. d) थर्ड पार्टी ऐसे देश या ज्यूरिस्ट्रिक्शन में बेस्ड नहीं होगी जिसे हाई-रिस्क माना गया हो।
- a. e) कस्टमर ड्यू डिलिजेंस और बेहतर ड्यू डिलिजेंस उपाय करने की आखिरी ज़िम्मेदारी, जैसे लागू होगा, कंपनी के पास होगा।
- a. f) KYC नियमों का पालन तय करने के लिए फैसले लेने का काम आउटसोर्स नहीं किया जाता है।
- क. छ) खाता खोलते समय ग्राहकों की पहचान करते समय परिचय नहीं मांगा जाता है।